5-1-18 पत्रावली पेश हुई। आदेश नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 15-1-2018 को पेश हो।

15-1-18 पत्रावली पेश। पी०ओ० नहीं आये। पत्रावली दि० 16-1-18 को पेश होवे।

16-1-18 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 सीपीसी एवं आदेश-22 नियम-4 एवं 9 एवं धारा-151 सीपीसी हेतु पेश ।

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रा० पत्र में कथन किया कि अपील में रेस्पो०सं०-8 भूरा पुत्र कालूराम का देहान्त दिनांक 16-3-2016 को हो गया जिसके वारीस प्रभातीदेवी स्त्री, रामकिशान रामवीर, ओमप्रकाश, रघुवीर, पवन वारिस है तथा रेस्पोडेन्ट सं०-9 जोधा पुत्र कालुराम का देहान्त अर्सा करीब 7 वर्ष पूर्व हो गया जिसके वारिसों में सुण्डीदेवी पत्नी, रामस्वरूप व हरिसिंह पुत्र हैं । रेस्पोडेन्ट संख्या-13 गणपत पुत्र सुखाराम का देहान्त भी अर्सा करीब 7 वर्ष पूर्व हो गया जिसके वारिस गोरा स्त्री, रामनिवास, द्वारकाप्रसाद, झाबरमल, मुकेश पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट सं०-14 सुंदरी स्त्री गोरू का देहान्त अर्सा करीब 8 वर्ष पूर्व हो गया जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या-15, 16, 17 पहले से अपील पर है इनके अलावा कोई वारिस नहीं है । इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या-14 का नाम हजफ किया जावे । रेस्पोडेन्ट संख्या-25 माली पुत्रीकालू स्त्री शंकरलाल का देहान्त अर्सा करीब 12-13 वर्ष पूर्व हो चुकी जिसके वारीस तीन पुत्र हैं। जिनको मृतक के स्थान पर वारिस बनाया जावे । अपीलान्ट के वकील ने अपीलान्ट को कह रखा था कि आप को प्रत्येक पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है जब आपकी आवश्यकता होगी बुला लिया जावेगा अपीलान्ट जब अपने वकील के पास आया तो वकील साहब ने कहा अपील में कोई पता तो नहीं तब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

121/02 ज्ञापन - नारायण

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	यह प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया । अतः अपीलान्ट का प्रा0पत्र स्वीकार किया जावे । तथा मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे । अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या-15 मालीराम का देहान्त करीब 5 माह पूर्व हो गई जिसके वारिसों में बनारसी स्त्री, हरीराम, अजय, शुभराज , नानची, मंजू, छोटी सुमन एवं सीमा पुत्र एवं पुत्री है जिनको रेकार्ड पर लिया जावे । यह प्रार्थना पत्र समय सीमा में जानबूझ कर नही बल्कि यह गलती मजबूरी वश हुई है । इसके लिये धारा-5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अपील को अबैट होना माने तो इसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर अबैटमेन्ट में हुये विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। जिसके समर्थन में आरआरडी 2006 पेज-831, आरआरडी 2011 पेज 672, एआईआर 2015 पेज198 (राज0) आरआरडी 2007 पेज 264 एवं एआईआर 2016 (एस0सी0) पेज 1717 प्रस्तुत की । विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0-8 भूरा, रेस्पो0 सं0-9 जोधा, रेस्पोडेन्ट संख्या-13 गणपत, रेस्पो0 सं0-14 सुन्दरी, रेस्पोडेन्ट संख्या-25 माली के वारिसों को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम -4 सीपीसी के तहत पेश किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपील अबैट हो चुकी । रेस्पो0सं0-8 की मृत्यु दि0 16-3-2016 को रेस्पो0सं0-9 व 13 की मृत्यु अर्सा करीब 7 वर्ष होना बताया है, रेस्पो0 सं0-14 का देहान्त करीब 8 वर्ष पूर्व होना बताया तथा रेस्पोडेन्ट सं0 25 का देहान्त करीब 10-12 वर्ष	

नहीं है ।अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम में भी कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है । इस प्रार्थना पत्र में केवल सर्वथा मिथ्या कारण दर्ज किये है जिन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट ने अपने अधिवकता को भी शपथ पत्र पेश नहीं किया । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र मियाद के बाहर पेश किये है । यह अवधि माफ किये जाने योग्य भी नहीं है । अतः अपीलान्ट का, प्रा0 पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर अपील अबैट की जाकर खारिज की जावे ।इसके समर्थन में 2012(3)डीएनजे (राज0) पेज 1715, एआईआर 1978(राज0)पेज-16, ए0आई0आर 1963(सु0कोर्ट) पेज-553, एआईआर 1970(कलकत्ता) पेज-99 पेश कर अपील को सम्पूर्ण रूप से अबैट करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली में प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-22 नियम-4 सीपीसी एवं आदेश 22 नियम 4 एवं 9 एवं धारा-151 सीपीसी एवं दफा-5 अवधि अधिनियम का पेश किया जिसमें प्रार्थी ने कोई सन्तोष प्रद कारण दर्ज नहीं किया तथा रेस्पोडेन्ट सं0-9 व 13 का देहान्त लगभग 7 वर्ष पूर्व होना तथा रेस्पोडेन्ट स0-14 का देहान्त -8 वर्ष तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-25 का देहान्त 12-13 वर्ष पूर्व होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा मृत्यु का जो समय बताया है वह काफी विलम्ब का है जिसका कोई सन्तोषप्रद कारण भी दर्ज नहीं किया ।प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने का कारण दर्ज किया कि वकील साहब ने कह रखा था कि प्रत्येक तारीख पेशी पर मत आना आवश्यकता होगी तब आपको बुला लिया जावेगा ।इस बाबत भी अपीलान्ट ने वकील साहब का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया । इस कारण प्रार्थी/

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अपीलान्ट के प्रार्थना पत्रो को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण अपील को ही अबैट किया जावे जिसके समर्थन में एआईआर 1963(एस0सी) पेज-553, एआईआर 1970 पेज-99 कलकत्ता, डीएनजे 2012(3)(राज0) पेज 1715, एआईआर 1978(राज0) पेज-16 पेश की जिसमें कोमन डिक्री पारित की गई उस में सम्पूर्ण अपील को अबैट किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण किसी कानूनी बिन्दू पर न कर निर्णय मैरिट पर किया जाना विधि सम्मत बताया है । किन्तु अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किये है जिसमें विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण भी दर्ज नहीं किया है । इस कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें अपीलान्ट की कोई मदद नहीं करती है । बल्कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों मे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया । 60 संयुक्त रूप से पारित डिक्री की अपील को सम्पूर्ण रूप से अबैट किया जा सकता है । अतः अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किये जाकर अपील अबैट की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 16/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	